तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 180/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/327) बअनवान सुभाष व अन्य बनाम कोजाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

सुभाष व अन्य

बनाम

कोजाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स

आदेश

दिनांक 27 मई 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 236/2024 बअनवान सुभाष व अन्य बनाम कोजाराम इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 187/1 एवं अन्य बट्टा नंबरान् के अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। मूल खसरा नंबर 187 राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 187/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187/2 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 187/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर सहित उक्त आराजी के चिपते उनकी कब्जे काश्त की मूल खसरा नंबर 187 की राजकीय भूमि के संबंध में भी प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार अप्रार्थीगण/रेस्पो. के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 180/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/327) बअनवान सुभाष व अन्य बनाम कोजाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की थी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त नजरी नक्शे पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट्स/तृतीय पक्ष अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स के पुराने कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश संशोधित किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फ़रमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 मई 2025 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर अपना कब्जा काश्त बताया है। अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार अप्रार्थीगण/रेस्पो. के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार अप्रार्थीगण/रेस्पो. के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न कर केवल खसरा नंबर 187/1, 187/2,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 180/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/327) बअनवान सुभाष व अन्य बनाम कोजाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

187/3 एवं 187/7 के संबंध में ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेंट्स को अपीलांट्स की खातेदारी एवं कब्जा सुदा भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश संशोधित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 मई 2025 को संशोधित किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/अपील के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मूल खसरा नंबर 187 में अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपीलप्राधिकारी
जोधपुर